न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (राज0) कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग

प्रकरण सं0 26/2024 (जी.सी.एम.एस. नं0 2024/286) पीठासीन अधिकारी :- श्री देवीसिंह (R.A.S.)

उनवान

सौदान सिंह पुत्र सुक्की जाति जाट निवासी ग्राम नाहराचौथ तहसील डीग जिला डीग हाल निवासी अर्जुन नगर भरतपुर जिला भरतपुर

------ प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग ------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

वकील प्रार्थी :- श्री हरिकृष्ण शर्मा

-:: निर्णय ::- **दिनांक :- 10.05.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया है कि प्रार्थी के खातेदारी काश्तकारी की आराजी ग्राम रूंध नरैना तहसील डीग जिला डीग में स्थित है, जिसमें खाता सं0 39 में वर्णित आराजी खसरा नं0 365 रकबा 0.09, 368 रकबा 0.15 पर प्रार्थी का नाम सौदानसिंह के स्थान पर सहजन पुत्र सुक्खी लिखा हुआ है, इसी प्रकार खाता सं0 145 में वर्णित आराजी खसरा नं0 385 रकबा 0.15 में प्रार्थी का नाम सहजन पुत्र सुक्खी लिखा हुआ है। इसी प्रकार खाता सं0 81 वर्णित आराजी खसरा नं0 129 रकबा 0.13, 132 रकबा 0.24, 133 रकबा 0.19, 369 रकबा 0.13 पर भी प्रार्थी का नाम सहजन पुत्र सुक्खीराम लिखा हुआ है, इसी प्रकार खाता संख्या 40 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 315 रकबा 0.18, 316 रकबा 0.20, 320 रकबा 0.15, 321 रकबा 0.16, 323 रकबा 0.13 पर प्रार्थी का नाम सहजन पुत्र सुखीराम लिखा हुआ है, जो गलत है, उक्त चारों खातों में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का नाम सौदानसिंह के स्थान पर सहजन अंकित है, जो गलत है व खाता संख्या 81 में वर्णित आराजी पर उसके पिता का नाम सुक्खीराम अंकित है, जो कि केवल सुक्की होना चाहिये तथा खाता सं0 40 में वर्णित आराजी पर उसके पिता का नाम सुखीराम अंकित है, जो सुक्की होना चाहिये।

यह कि प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मैडीकल डायरी, प्रमाण पत्र कोविड-19 व उनके पुत्रों के दस्तावेज व राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम सौदान सिंह व उसके पिता का सुक्की दर्ज है, जो सही है, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेख में भी सही नाम सौदानसिंह इन्द्राज किया जाना लाजमी है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

यह कि राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण उक्त अभिलेख में प्रार्थी का नाम व दो खातों में उसके पिता का नाम गलत दर्ज किया जा रहा है, जो गलत है व खिलाफ कानून है, जिसमें प्रार्थी को सख्त हकलतफी है, विधि बजह प्रार्थी हो रहे गलत इन्द्राज को दुरुस्त करा पाने का अधिकारी है।

यह कि सहजन नाम का गांव में कोई व्यक्ति नहीं है, सहजन व सौदानसिंह एक ही व्यक्ति है, जिसके पिता का सही नाम सुक्की है, सुक्की व सुखीराम के नाम का गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

यह कि विनाम मुखासमत गलत इन्द्राज का इल्म होने पर दिनांक 31.07.2024 को ग्राम रूंध नरैना में उत्पन्न हुई है, जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाता संख्या 39, 145, 81, 40 वाके ग्राम रूंध नरैना में वर्णित आराजी खसरा नंबर में हो रहे गलत इन्द्राज सहजन के स्थान पर प्रार्थी का नाम सौदानसिंह व खाता सं0 81 में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का पिता सुक्खीराम के स्थान पर सुक्की व खाता सं0 40 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता के नाम सुखी राम के स्थान पर सुक्की दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट** को दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग के पत्रांकः एलआर/24/3111 दि0 26.12.2024 में अंकित किया गया है कि " उक्त प्रकरण में प्रार्थी सौदानसिंह पुत्र सुक्की जाति जाट निवासी नाहराचौथ का है एवं इसकी भूमि ग्राम रूंध नरैना के खाता सं0 39, 81, 40, 145 में दर्ज सहजन पुत्र सुक्की कराना चाहता है। प्रार्थी के खाता सं0 39, 40, 81 पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय से रहन वय मुंतकिल न करने का नोट लगा हुआ है। प0 ह0 धमारी की मौका रिपोर्ट अनुसार सौदान सिंह पुत्र सुक्की एवं सहजन पुत्र सुक्खीराम एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इन नामों से गांव में अन्य कोई भी दूसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध किया जाना उचित है। "

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 39, 145, 81, 40 वाके ग्राम रूंध नरैना में वर्णित आराजी खसरा नंबर में हो रहे गलत इन्द्राज सहजन के स्थान पर प्रार्थी का नाम सौदानसिंह व खाता सं0 81 में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का पिता सुक्खीराम के स्थान पर सुक्की व खाता सं0 40 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता के नाम सुखी राम के स्थान पर सुक्की दर्ज किया जावे।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। कार्यालय ग्राम पंचायत धमारी, पं0, स0 डीग के सरपंच के अनुसार अंकित किया कि" सौदान उर्फ सहजन पुत्र सुक्की जाति जाट निवासी नाहरा चौथ तहसील डीग जिला डीग का मूल निवासी है। इनको मैं भली–भांति प्रकार से जानता हूं। सौदान उर्फ सहजन एक ही नाम है जो सौदान के नाम से जाना जाता है। सहजन का मूल नाम ही सौदान है अतः इनका नाम सौदान कर दिया जावे। इसके लिए ग्राम पंचायत अनुशंषा करती है।" नकल मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबंध विभाग क्रमांक 828 दि0 08.05.2025 का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तरकरण पंजिका 828 दि0 08.05.2025 ग्राम रूंध नरैना तहसील डीग का अवलोकन किया गया जिसमें खाता सं0 39 में हिरूकी पुत्र बालमुकन्द, दुल्लीचन्द, सुक्खी, बोधू पि0 भूपाल वहिस्सा बराबर कौम फौजदार सा0 नाहराचौथ व सुक्खी पुत्र भूपाल कौम फौजदार सा0 नाहराचौथ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सं0 828 दि0 08.05.2025 संवत 2025 लगा0 2028 में खाता सं0 70 खसरा नं0 368 मिहीलाल व खचेरा व सहजन पिसरान सुक्खी कौम फौजदार सा0 नाहराचौथ वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सं0 828 दि0 08.05.2025 संवत 2025

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

सं0 2028 में खाता सं0 38 दुल्लीचंद, बोबना पुत्र बालमुकन्द 1/4, हिरूकी पुत्र बालमुकन्द 1/4, मिहीलाल, खचेरा, सहजन पि0 सुक्खी वहिस्सा बराबर चौथाई, बोधू पुत्र भूपाल चौथाई कौम फौजदार सा0 नाहराचौथ खातेदार, खाता सं0 38/1 हिरूकी पुत्र बालमुकंद, मिहिलाल व खचेरा व सहजन पि0 सुक्खीराम वहिस्सा बराबर, बोधू पुत्र भूपाल कौम फौजदार सा0 नाहराचौथ वहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची, प्रमाण पत्र कोविड–19 व पुत्रों के दस्तावेज व राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम सौदान सिंह व उसके पिता का सुक्की दर्ज है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश है कि :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। खाता संख्या 39, 145, 81, 40 वाके ग्राम रूंध नरैना में वर्णित आराजी खसरा नंबर में हो रहे गलत इन्द्राज सहजन के स्थान पर प्रार्थी का नाम सौदान सिंह व खाता सं0 81 में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का पिता सुक्खीराम के स्थान पर सुक्की व खाता सं0 40 में वर्णित आराजी में प्रार्थी के पिता के नाम सुखी राम के स्थान पर सुक्की दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.